उनवानी प्रकरणः— भंवर बाई बनाम प्रेमबाई वगै0

मु.न.:— 07/2013 कि0मु0:— अपील

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय निशियल्स जज	नम्बर व तारीख
	16.07.2025 पत्रावली पेश हुयी। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा गिरधर सिंह, नन्दसिंह, जुगराज कंवर, प्रकाश कंवर, राजेन्द्रकंवर रसराज कंवर, कमलाबाई, गणेश का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिसमें मृत्यु कब हुई जानकारी नहीं दी गई तथा ना ही मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किये गए। उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकाम में रेस्पोडेन्ट द्वारा दिनांक 08.07.2025 को जबाव पेश कर आपत्ति जाहिर की गई कि अपीलान्ट द्वारा अन्दर मियाद 90 दिवस कायम मुकाम के प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर न्यायालय को गुमराह करने की गरज से मृतकों की मृत्यु की तिथी वास्तविक तथ्यों को छिपाते हुए अवैधानिक प्रकिया अपनाते हुए उक्त प्रार्थना पत्र कायम मुकाम पेश किये ऐसी स्थिति में श्रीमान न्यायालय से उक्त तथ्य छिपाकर गम्भीर लापरवाही व निष्क्रीयता व दुर्भावना पूर्व पेश किये गये प्रार्थना पत्र अवधि वाधित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्ट कानूनन ऑटोमेटिकली ही अवेट की श्रेणी मे आ गई है। अतः प्रार्थना पत्र कायम मुकाम मियाद बाहर पेश होने से खारिज फरवाया जाकर अपील अवेट होने से खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया गया, अपीलार्थी वकील ने बताया कि रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर न्यायालय को सूचित किया गया था कि बहुत अपीलान्ट की मृत्यु हो चुकी है। उनके कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश हुए लेकिन कुछ आवश्यक पक्षकारों को शामिल नहीं किया गया। रेस्पो के इस प्रार्थना पत्र पर मुझे प्रार्थी द्वारा 11.08.2023 को जबाव में कहा गया की यदि उक्त पक्षकारों को प्रकरण में वारिसान कायम किया जाता है तो मुझ प्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है। न्यायालय श्रीमान ने दिनांक 29.08.2023 को शेष वारिसान को आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के आदेश दिये इस आदेश के विरूद्ध रेस्पो0 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की गई। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 21.03.2024 के द्वारा श्रीमान न्यायालय के आदेश को यथावथ रखा। पत्रावली दिनांक 24.06.2024 को पुनः पेशी पर आई और मुझे प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 10.07.2024 व 25.07.2024 कर कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश कर दिये है। रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 3 व 4 के अधिवक्ता की कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। जिसमें अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि दिनांक 06.09.2013 को कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा पेश किया गया था, जिसमें बताया गया है कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के सभी वारिसान के नाम कायम मुकाम प्रार्थना पत्र में शामिल कर लिये है लेकिन वास्तविक तथ्य यह है कि अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के समस्त विधि वारिसान का नाम का उल्लेख प्रार्थना पत्र में नहीं किया गया है। जिस बाबत् रेस्पोडेन्ट की ओर से दिनांक 30.01.2023 को पेश प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए श्रीमान न्यायालय ने संशोधित शीर्षक में जो नाम छूटे गये हो उन्हे ही शामिल करने के आदेश श्रीमान न्यायालय द्वारा दिनांक 29.08.2023 द्वारा दिया गया था, न कि प्रार्थना पत्र में छूटे हुए नामों को शामिल किये जाने का आदेश दिया गया। उक्त आदेश की वकील अपीलान्ट द्वारा गलत व्याख्या कर न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया गया है। वर्तमान कायम मुकाम प्रार्थना पत्रों में गिरधर सिंह का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2024 को पेश किया गया। जबकि गिरधर सिंह की मृत्यु दिनांक 03.12.2016 को हो चुकी थी। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष निगरानी में पेश प्रार्थना पत्र धारा 151 सीपीसी में अपीलान्ट स्वयं ने यह स्वीकार किया गया है कि गिरधरसिंह की मृत्यु दिनांक	

उपखण्ड अधिकारी खण्डार (स० मा०) सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

03.12.2016 हो चुकी है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 21.03.2024 में भी इसी का उल्लेख किया गया है विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने बताया है कि दिनांक 09.02.2017 के आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के तहत श्रीमान न्यायालय मे गणेश गुर्जर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपीलान्ट द्वारा पेश जबाव में गिरधरसिंह के हस्ताक्षर अंकित किये गये जबकि अपीलान्ट स्वंय ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष स्वीकार किया गया है कि गिरधर सिंह की दिनांक 03.12.2016 को मृत्यु हो चुकी है। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करवाये जाने का अनुरोध किया और प्रश्न उठाया है कि जब गिरधरसिंह की मृत्यु दिनांक 03.12.2016 को हो चुकी है। तो जबाव प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2017 पर गिरधरसिंह स्वयं के हस्ताक्षर किस प्रकार अंकित हुए। गिरधरसिंह नें उक्त दिनांक को हस्ताक्षर नहीं किये तो किसने किये। आगे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा बताया गया है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा दिनांक 10.10.2022 को प्रेमबाई रेस्पो0 का नाम हजफ करने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसमें भी पेशकर्ता के रूप में गिरधर सिंह का नाम दर्ज है। प्रार्थना पत्र दिनांक 30.01.2023 जो मुझ रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा कायम मुकाम पर आपत्ति दर्ज करवाये जाने पर पेश किया गया था। उसका जबाव भी दिनांक 04.08.2023 को गिरधर सिंह की ओर से पेश किया गया है।

रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि रसराज, जुगराजकंवर भी कई वर्षो पूर्व फोत हो चुकी थी। यहां तक की रसराज कंवर की मृत्यु स्वयं की माता नन्दकंवर की मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी। अपीलार्थीगण की निष्क्रीयता व वदियान्ती के कारण कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश करने में देरी की गई है। वर्तमान में दिनांक 10.07.2024 व 25.07.2024 पेश कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद 90 दिवस में पेश नहीं किये गये है और श्रीमान न्यायालय को गुमराह करने की गरज से किस भी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र में मृतकों की मृत्यु की तिथी जानबूझ कर दर्ज नहीं की गई है और ना ही किसी का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया गया। और ना ही कायम मुकाम प्रार्थन पत्रों में विलम्ब का कोई समुचित कारण अंकित किया गया है ओर ना ही धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया गया। अपीलान्ट की ओर से पूर्ण निकिष्यता व लापरवाही व दुराश्य पूर्व न्यायालय को गुमराह कर मृत्यु की वास्तविक दिनांक छिपाकर प्रार्थना पत्र पेश किये है। जो अवधि वाधित होने से अपील ऑटोमेटिकल अवेट की श्रेणी में आ गई है। जो अवेट होने से खाारिज किये जाने योग्य है।

अपील नामान्तकरण संख्या 40 जो दिनांक 30.12.1975 ग्राम बाडंगदा खुर्द के सम्बन्ध मे पेश की गई है। नामान्तकरण के दर्ज हुए लगभग 50 वर्ष हो चुके है। फिर भी अपीलार्थी अधिवक्ता पत्रावली में सुनवाई में देरी करने के नियत से सक्रीय नहीं है। नामान्तकरण सहीं दर्ज किया गया है केवल अपीलान्ट 31 वर्ष बाद रेस्पोडेन्ट को हैरान व परेशान किया जाकर प्रकरण को बिना किसी साक्ष्य सबूत के चलाया जा रहा है। नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 30.12.1975 द्वारा जगन्नाथ सिंह के पुत्र प्रेमसिह की विरासत तय की गई है। जगन्नाथ सिंह का एक मात्र वारिस प्रेमसिंह के नाम भूमि दर्ज की गई है। रेस्पोडेन्ट प्रेमबाई, प्रेमसिंह की पत्नि है तथा मिथेलश, बेवी, सीमा, प्रेमसिंह की पुत्रीयां है। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा बताया गया है कि प्रेमसिंह के अन्य कोई विधि वारिसान नहीं है। अपीलान्ट भवंरबाई व नन्दकंवर कमलाबाई जगन्नाथ सिंह की पुत्रीया थी। जिन्हे उस समय जगन्नाथ सिंह की भूमि में कानूनन हक अधिकार प्राप्त नहीं था इसलिए उन्होने प्रेमसिंह के जीवित रहते हुए नामान्तकरण के सम्बन्ध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं की थी। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि कायम मुकाम प्रार्थना पत्र 90 दिवस की मियाद के अन्दर पेश किया जाना चाहिए था। जो नहीं किया गया और ना ही विलम्ब का कोई समुचित कारण कायम मुकाम प्रार्थना पत्र में दर्ज किया गया तथा स्वयमेव अवेट अपील का अवेन्टमेन्ट निरस्त

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

कर पक्षकार बनाए जाने का कोई प्रार्थना पत्र अपीलान्ट द्वारा पेश नहीं किया गया है। इस समय सीमा का इतनी विलम्ब का कोई कारण अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा नहीं बताया गया है। भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का विलम्ब कन्डोन करने के प्रार्थना पत्र भी कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के साथ पेश नहीं किया गया साथ ही प्रार्थना पत्र के साथ शपथपत्र भी पेश नहीं किये गये है।

रेस्पोडेन्ट गणेश के अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चौधरी ने कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। जिसमें विद्वान अधिवक्ता ने कहा की रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता गोविन्द मथुरिया द्वारा प्रस्तुत बहस के सभी बिन्दु पर अपनी सहमति व्यक्त करते हुए बताया गया है कि गिरधरसिंह की मृत्यु दिनांक 03.12.2016 को हो होने के बाद भी गिरधरसिंह के हस्ताक्षर युक्त जबाव प्रार्थना पत्र दिनांक 09.02.2017 पेश किये जाने पर उन्हे गहन आपत्ति दर्ज करवाई गई। आगे रेस्पोडेन्ट विद्वान अधिवक्ता ने बताया की रेस्पो0 गणेश का कायम मुकाम प्रार्थना पत्र दिनांक 10.07.2024 को अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा पेश किया गया जबकि गणेश की मृत्यु दिनांक 06.02.2018 को हो चुकी है। प्रार्थना पत्र कायम मुकाम में गणेश की पत्नि का नाम सुखबाई अंकित किया गया जबकि गणेश की पत्नि का नाम रामप्यारी है।

न्यायालय के समक्ष कायम मुकाम प्रार्थना पत्रों व प्रस्तुत बहस तथा पत्रावली पर उपलब्ध अन्य समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन से जाहिर है कि प्रकरण विरासत नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 30.12.1975 ग्राम बागड़दा खुर्द ग्राम पंचायत क्यारदा खुर्द के विरूद्ध पेश किया गया। प्रकरण न्यायालय में दिनांक 15.07.2004 को नामान्तकरण तस्दीक होने के 29 वर्ष बाद पेश किया गया कायम मुकाम प्रार्थना पत्र अत्यधिक विलम्ब से पेश किये तथा जो पूर्व में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र पेश किये गये उनमें समस्त वारिसानों का आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया।

प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्रों के साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र भी संलग्न नहीं किये और ना ही समर्थन में कोई शपथ पत्र पेश किये गये। दौराने बहस वकील अपीलान्ट द्वारा गिरधर, कमलाबाई, नन्दसिंह, रेस्पोडेन्ट गणेश की तरफ से धारा 5 के प्रार्थना पत्र पेश किये गए। जिस पर रेस्पोडेन्ट अधिवक्तागण द्वारा गम्भीर आपत्ति दर्ज करवाई गई। आपत्ति यह कहकर दर्ज करवाई गई की भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र कायम मुकाम प्रार्थना पत्रो के साथ ही पूर्व में ही पेश किये जाने पर ही न्यायालय द्वारा उन पर विचार किया जा सकता था। इन्हे पत्रावली पर लिया जाना उचित नहीं है। चूकि विलम्ब से प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्र के साथ भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसीलिए दौरान बहस धारा 5 के प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत शपथ पत्रों को पत्रावली में शामिल ना किये जाने का निर्णय लिया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अपीलान्ट गिरधरसिंह की मृत्यु दिनांक 03.12.2016 को हो जाने के बाद भी मृतक अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान चौधरी प्रकरण में पैरवी करते रहें। यहा तक की मृत्यु के बाद दिनांक 09.12.2017 को प्रस्तुत जबाव प्रार्थना पत्र भी मृत अपीलान्ट गिरधरसिंह के हस्ताक्षर अंकित है। पुरे प्रकरण पर गोर करने के बाद न्यायालय को प्रतित होता है कि अपीलान्ट की निष्क्रीयता का कारण प्रत्येक चरण में अपूर्ण व अस्पष्ट तथ्य अपीलान्ट द्वारा बार–बार पेश कर प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब किया गया। प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्रों के साथ भी भारतीय परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 का प्रार्थना पत्र व सम्बन्धित का शपथ पत्र नहीं लगाया जाना भी प्रकरण के प्रति अपीलान्ट की निष्क्रीयता का घोतक है। कायम मुकाम प्रार्थना पत्रों में भी देरी का कोई समुचित कारण अंकित नही किया जाना अपीलान्ट की न्याय प्रकिया के प्रति उदासीनता को दिखाता है, तथा जानबूझ

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)

कर न्यायालय को गुमराह करने की मन्शा से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्रो में जानबूझ कर मृतकों की मृत्यु की दिनांक अंकित नहीं की गई है और ना ही मृतकों के मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है। अपीलान्ट द्वारा प्रारम्भिक प्रार्थना पत्रों में समस्त विधिक वारिसान को शामिल ना कर अधूरें वारिसानों की सूचना न्यायालय के समक्ष झूठे शपथ पत्रों के साथ प्रस्तुत किया जाना भी अपीलान्ट की बन्दियान्ती का घोतक है।

उपयुक्त समस्त तथ्यों के प्रकाश में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कायम मुकाम प्रार्थना पत्रों को अस्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण संख्या 07/2013 अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 40 दिनांक 30.12.1975 ग्राम बागड़दा खुर्द अपीलान्ट की अपील अवेट होने के कारण इसी स्तर पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो तथा वाद तक्मील दफ्तर दाखिल हों।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स० मा०)